FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान बद्री बनाम मदन

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 11 /2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2026	मूल वाद के साथ अधिवक्ता श्री बनवारी लाल यादव ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रकरण में अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 148 रकबा 1.1761 है0 वाके ग्राम भांवती पटवार हल्का चेनपुरा तह0 निवाई में स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रहनदान, बेचान नहीं करे और प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में फसल बोने, काटने में अप्रार्थीगण बाधा, मजाहमत रूकावट, अड़चन पैदा नहीं करें, ना ही जबरन काश्त करे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि की जावे। पत्रावली आगामी दिनांक 5/3/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	जारी 215-217 22/1/26
5/3/26	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 4/5/26 को पेश हो।	
13/4/26	प्रार्थी की ओर से प्रा. पत्र प्रस्तुत, पत्रावली NOTE PRESS करने एवं पत्रावली तलब फरमाये जाने बाबत पेश करने पर पत्रावली आज दिनांक को तलब की गई।	जारी Not Press [signature]

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया। प्रार्थी वादि इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली NOTE PRESS करने की अनुमति प्रदान करें।

अतः पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी के जरिए- पत्र के आधार पर इस स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बरान से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)